न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सीकर
पीठासीन अधिकारीः— जय प्रकाश, आर.ए.एस.

पत्रावली संख्याः— 141/2018/अपील

प्रतापसिंह पुत्र स्व0 कायमसिंह जाति राजपूत निवासी पचार तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर

अपीलान्ट

बनाम

राज्य सरकार द्वारा तहसीलदार दांतारामगढ़ जिला सीकर

रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 26.11.2007 मु.न. 109/2007 अनुवानी सरकार बनाम प्रतापसिंह द्वारा न्यायालय तहसीलदार दांतारामगढ़

वकील अपीलांट श्री प्रदीपकुमार जोशी

निर्णय दिनांकः—27.12.2019

संक्षेप में तथ्य अपील इस प्रकार है कि अपीलांट ग्राम पचार का भूतपूर्व जागीरदार है। अपीलांट को जयपुर महाराजा द्वारा अपने आदेश जी0ओ0 नम्बर 1294 एस0सी0दिनांक 16.08.1946 द्वारा ग्राम पचार का जागीरदार घोषित किया हुआ है। अपीलांट की जागीर राजस्थान सरकार की विज्ञप्ति संख्या एफ4—388 आर0 बी0/53 के अन्तर्गत दिनांक 01.08.1955 की खालसा की गयी थी, उस समय अपीलांट अवयस्क था, इस कारण अपीलांट की जागीर कोर्ट ऑफ वार्डस के तहत थी। अपीलांट की ओर से कलक्टर कोर्ट ऑफ वार्डस की ओर से अपीलांट की जागीर की निजी सम्पत्ति की सूची में रखे जाने का निवदेन किया गया, जिस पर अति0 जागीर कमिश्नर राज0 जयपुर ने अपने आदेश दिनांक 01.10.1962 के द्वारा प्रस्तुत की गयी सूची में से निजी सम्पत्ति की आईटम संख्या 1,2,3 व 6 को अपीलांट की निजी सम्पत्ति घोषित की गयी थी। जिसमें आईटम नम्बर 2 मर्दाना महल व आईटम संख्या 6 के तहत मर्दाना महल के बाहर नोहरे के पास की कोठी थी, जिससे स्पष्ट है कि मर्दाना महल मय नोहरा व इसमें अवस्थित कोठी अपीलांट की निजी सम्पत्ति रही है। अपीलांट की निजी सम्पति में मर्दाना महल व उसका नोहरा व कोठी अपीलांट के कदीमी कब्जे अधिकार की है। अपीलांट के नोहरे का पुराना खसरा नम्बर 215 जिसके नया खसरा नम्बर 1793, 1790 वर्तमान में है। अपीलांट के खिलाफ धारा 91 भू राज0 अधिनियम के तहत कार्यवाही अमल में लायी जाने पर पत्रावली सरकार बनाम प्रतापसिंह मु0नं0 117/97 में अपीलांट द्वारा अपस्थित हो जवाब प्रस्तुत किया गया, जवाब प्रस्तुत दिनांक 07.07.1997 को दिया गया जिस पर दिनांक 10.09.1997 को तहसीलदार दांतारामगढ ने खसरा नम्बर 215 व नया खसरा नम्बर 1793 पर अपीलांट का 1 बीघा 5 बिस्वा पर पुराना कब्जा मानते हुये नियमन की सिफाशि भू आवंटन का 1 बीघा 5 बिस्वा पर पुराना कब्जा मानते हुये नियमन की सिफारिश भू आवंटन एवं नियमन सलाहकार समिति के अध्यक्ष उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ को कर दी तथा उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ ने दिनांक 17.06.2005 को यह आदेश दिया कि चूंकि प्रकरण चारागाह भूमि का है इस कारण सलाहकार समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि मूल

पत्रावली श्रीमान को वास्ते भूमि किस्म परिवर्तन कर आबादी भूमि घोषित की जाकर प्रार्थी के नाम पट्टा जारी करने के निर्देश पंचायत को जारी किये जावें। जिस पर श्रीमान ने अपने पत्र क्रमांक 2439/मूल राजस्व/05 मूल ही अपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ को लौटाकर लेख है कि नियमानुसार आबादी विस्तार के प्रस्ताव भिजवाने की व्यवस्था करें। जो आदेश आज भी प्रभावी है तथा उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ के पास जैरकार है। योग्य अधिनस्थ तहसीलदार ने अपीलांट को धारा 91 आर.एल. आर. एक्ट का नोटिस दिया, जिस पर अपीलांट ने जवाब नोटिस प्रस्तुत किया तथा अपीलांट ने अपने जवाब नोटिस में सम्पूर्ण विवरण दिया है। मगर योग्य अधिनस्थ तहसीलदार ने न तो जवाब को देखा तथा न ही अपीलांट को साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिया तथा मनमाने तौर पर आज्ञा पारित की है। योग्य अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार दांतारामगढ ने आज्ञा पारित करने से पहले अनेका अनेक महत्वपूर्ण दस्तावेजात पर कोई विचार नहीं किया है, जबकि रिकार्ड से अपीलांट का कब्जा विवादित भू जागीर के समय से चला आ रहा है। जागीर कमिश्नर का आदेश दिनांक 10.10.1962 के आईटम नं0 6 में मर्दाना महल के बाहर नोहरा के पास कोठी मे विवादित बाडा अपीलांट द्वारा प्रस्तुत जवाब व दस्तावेजात का अवलोकन करने तक की कोशिश नही की गई। विवादित भूमि के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत पचार ने अनापत्ति प्रमाण पत्र दिनांक 18.12.2004 को जारी कर यह कहा है कि विवादित भूमि का नियमन अपीलांट व उनके पुत्र महावीर सिंह राजवीर सिंह के नाम कर दिया जावें तो आपत्ति नहीं है। मगर योग्य अधिनस्थ तहसीलदार ने तमाम सबूत व साक्षी को अनदेखा कर तथा राजनैतिक दबाव में आकर आदेश पारित किया है। योग्य अधिनस्थ तहसीलदार ने रिपोर्टकर्ता पटवारी के न तो बयान लिए तथा न ही अपीलांट को अपनी साक्ष्य व सबूत प्रस्तुत करने का समय दिया, जबकि आदेशिका (फर्द अहकाम) दिनांक 19.11.07 में स्पष्ट लिखा है कि पत्रावली वास्ते साक्ष्य दिनांक 26.11.07 को पेश हो। इस प्रकार योग्य अधिनस्थ न्यायालय ने मनमाने तौर पर अन्यथा प्रभावित होकर आदेश पारित किया है, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत होने से निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाकर योग्य अधीनस्थ तहसीलदार दांतारामगढ़ द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.11.2007 निरस्त फरमाया जावे।

अधिवक्ता अपीलांट की बहस सुनी गई एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। चूंकि प्रकरण के सम्बंध में पूर्व में न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 22.07.2015 को निर्णय पारित किया जा चुका है। न्यायालय हाजा द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.07.2015 के विरूद्व भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, सीकर के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई। न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, सीकर द्वारा चुनौतिग्रस्त अपील में निर्णय दिनांक 04.07.2018 पारित कर न्यायालय हाजा द्वारा पारित निर्णय को खारिज किया जाकर प्रकरण पुनः निर्णय हेतु रिमाण्ड किया गया। प्रकरण पुनः निर्णय हेतु दर्ज रिजस्टर किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा हल्का पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अपीलांट को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किया गया है। अपीलांट स्वयं अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुआ एवं जवाब नोटिस पेश किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त जवाब नोटिस को रिकॉर्ड पर लेकर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। इस कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए अपना निर्णय पारित किया है। मुताबिक रिकॉर्ड के अपीलांट द्वारा ग्राम पचार के खसरा नम्बर 1793 किस्म चारागाह में 0.54 है0 पर कब्जा कर अतिक्रमण कर रखा है। उपरोक्त आराजियात पर अतिक्रमण नहीं होने के सम्बंध में अपीलांट द्वारा कोई ठोस दस्तावेज/साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये है एवं ना ही ऐसा

कोई दस्तावेज पत्रावली पर उपलब्ध है, जिससे यह साबित किया जा सके कि विवादित स्थल पर अपीलांट का कोई अतिक्रमण नहीं है। अतिक्रमित भूमि की किस्म चारागाह है। चारागाह भूमि राजकीय भूमि है, जिस पर अपीलांट को अतिक्रमण करने का कोई हक अधिकार नहीं है। अतः चारागाह भूमि पर अपलांट द्वारा कब्जा कर किये गये अतिक्रमण के सम्बंध में अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार दांतारामगढ़ के द्वारा पारित बेदखली आदेश दिनांक 26.11.2007 अतिविशिष्ट कानूनी प्रावधान की पूर्ति के लिए यथेष्ट एवं पर्याप्त है, जिसमें दखलंदाजी की आवश्यकता न्यायोचित प्रतीत नहीं होती है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 27.12.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

27/12/19

(जय प्रकाश)

अति० जिला कलक्टर, सीकर